

स्थानिक आयुक्त कार्यालय  
बिहार भवन, नई दिल्ली।

दिनांक :

प्रेषक

स्थानिक आयुक्त के सचिव  
बिहार भवन नई दिल्ली।

सेवा में ,

लेखापदाधिकारी  
बिलिंग अनुभाग


C.N. Center


अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान  
अंसारी नगर , नई दिल्ली।

विषय मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में ।  
महाशय ,

उपर्युक्त विषय मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से स्थानिक आयुक्त कार्यालय द्वारा चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिये कॉलम (5) में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

SL.NO	Name of patient & Address	Disease	Hospital	Amount
1	2	3	4	5
1	Ananya Tiwari, D/o. Dhananjay Nath Tiwari, Vill.Chitakhal, Siwan,UHID NO; 104910061	VSD	AIIMS , NEW DELHI	45000
2	Divyanshu Kumar, S/o. Roshan Kumar Ray, Vill. Dhakjari, Po. Mahwa, Dist:Darbhanga , UHID NO:103252469	TOF	AIIMS , NEW DELHI	67000
3	Babita Devi, W/o. Kamlesh Singh Vill. Jajauli, Po. Banson, Dist: Saran UHID -105383390	AVR	AIIMS , NEW DELHI	150000



  
MAAMTA SHREE OJHA  
8374 Resident, Jangraha  
-1, Lodhna, New Delhi

4	Shailendra Kumar Singh, S/o. Ram Naresh Singh, Vill: Gopalpur, Po. Pachrukhi. Dist: Siwan , UHID - 105463893	DVR	AIIMS , NEW DELHI	190000
			Total Amount	452000


2. उक्त अनुदान की कुल राशि 452000/- (चार लाख बावन हजार रुपये ) के भुगतान के लिय आपके संस्थान अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता संख्या 3004733012, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अशोका होटल, चाणक्यापुरी नई दिल्ली के कास चेक सं0 141208 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान अस्पताल के खाता सं0 10874584258, खाता धारक का नाम - AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT बैंक का नाम - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता का प्रकार - चालु, शाखा का नाम- अंसारी नगर, नई दिल्ली, RTGS/IFSC कोड सं0 - SBIN0001536, में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र / छद्म नाम / अथवा गलत तरीके से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज उनके अभिभावक / उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्थानिक आयुक्त कार्यालय, बिहार भवन को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।

6. आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश के तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।

  
**MANITA SHREE QHA**  
 Secretary to Resident Committee  
 C-11, Baluching Office  
 Bhubaneswar, New Delhi